24,434

संख्याः /सात लाई०–एस०–48/व्यव०/2025–26/सा०निर्देश/विज्ञप्ति

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून, दिनांकः मार्च,06 ,2025

विषयः– वर्ष 2025–26 व 2026–27 की अवधि हेतु सी०एल०–5सी (देशी शराब व बीयर) एवं एफ०एल०–5डी (विदेशी मदिरा व बीयर) की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025–04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 के अनुसार राज्य में मदिरा की फुटकर दुकानों (सी०एल०–5सी (देशी शराब व बीयर) एवं एफ०एल०–5डी (विदेशी मदिरा व बीयर) का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 01.04.2025–31.03.2026 तक) व 2026–27 (दिनांक 01.04. 2026–31.03.202 तक) हेतु निम्नानुसार किया जायेगाः–

(i) वर्ष 2024–25 मे संचालित एवं व्यवस्थापित मदिरा दुकाने जो कि उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के प्राविधानों के अनुरूप अर्ह है, उनका नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2025–26 व 2026–27 हेतु नीति के उपबन्धों के अधीन किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु नवीनीकरण शुल्क व अन्य शर्ते पूर्ण करने की दशा में आबकारी नीति विषयक नियमावली के नियम 1.1 (3) के अनुरूप लाईसेंसिंग प्राधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा द्विवर्षीय नवीनीकरण किया जायेगा। द्वितीय वर्ष 2026–27 हेतु तत्समय नवीनीकरण शुल्क जमा करने व अन्य अर्हताऐं पूर्ण करने की दशा में दो वर्षो तक निरन्तर मदिरा दुकानों का संचालन कर सकेगा और इसका उल्लेख आवंटन/नवीनीकरण पत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा।

(ii) नवीनीकरण के अतिरिक्त लॉटरी,प्रथम आवक प्रथम पावक एवं अधिकतम राजस्व ऑफर के माध्यम से चयनित वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुज्ञापियों का सम्बन्धित मदिरा दुकानों का वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु नवीनीकरण शुल्क व अन्य शर्ते पूर्ण करने की दशा में आबकारी नीति विषयक नियमावली के नियम 1.1 (3) के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु नवीनीकरण किया जा सकेगा।

व्यवस्थापन के सम्बन्ध में निम्नानुसार सामान्य निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025–04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 के

CamScanner

द्वारा प्रख्यापित की गयी है,में दी गयी व्यवस्था के आधार पर मदिरा की फुटकर दुकानों का राजस्व निर्धारित किया जाना है। वर्ष 2025–26 व 2026–27 हेतु मदिरा दुकान का राजस्व जिला आबकारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक द्वारा आगणित किया जाएगा तथा जिला अधिकारी द्वारा युक्तिसंगत एवं तर्क संगत होने पर अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित निर्धारित राजस्व के आधार पर लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम गारण्टीड अभिकर की राशि का निर्धारण विहित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाये। **राजस्व निर्धारण में पर्याप्त सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है।**

2. उपरोक्तानुसार जनपद की सी0एल0–5सी (देशी शराब व बीयर) एवं एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा व बीयर) की दुकानवार निर्धारित लाईसेंस फीस एवं न्यूनतम गारन्टीड अभिकर (जो भी लागू हो) की सूची शासन की वेबसाईट–**www.uk.gov.in** एवं **www.uttrakhandexcise.org.in**जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय तथा कलैक्ट्रेट, तहसील एवं उप–तहसील, विकासखण्ड तथा नगर पालिका कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लगायी जायेगी। उक्त मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करना भी सुनिश्चित करेंगे।
3. समस्त जनपदों द्वारा जनपद में वर्तमान में संचालित समस्त देशी विदेशी मदिरा दुकानों में आबकारी नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपद के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए समस्त संचालित मदिरा दुकानों में व्यवथापित राजस्व को वार्षिक आगणन के आधार पर 04 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए विदेशी मदिरा दुकानों तथा 02 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए देशी मदिरा दुकानों का वित्तीय वर्ष 2025–26 व 2026–27 के लिये नवीनीकरण किया जायेगा। मदिरा दुकानों के राजस्व का निर्धारण जनपद को दिये गये लक्ष्य को प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत किया जायेगा।
4. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के अनुसार देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का नवीनीकरण निर्धारित समय एवं शर्तो के अधीन किया जायेगा।अर्ह दुकानों के नवीनीकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी व नवीनीकरण के अनुमोदन हेतु जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किए जा सकेंगे। आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदन के उपरांत अंतिम रूप से नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत दुकानों की सूची जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी तथा इसके साथ ही नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।
5. जिला आबकारी अधिकारी द्वारा नवीनीकृत एवं अन्य माध्यम से व्यवस्थापित समस्त मदिरा दुकानों की लाईसेन्स फीस एवं प्रथम प्रतिभूति को प्रदेश आबकारी राजस्व हित में तत्काल जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
6. नवीनीकरण के पश्चात अवशेष रह गई मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु जनपद के राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष राजस्व को सबंधित मदिरा दुकानों में तर्कसंगत एवं वास्तविक उठान क्षमता के आधार पर पुनर्निर्धारित करते हुए मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन किया जाएगा जिसके लिए निर्धारित कार्यक्रमानुसार दो चरण की लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया के पश्चात प्रथम आवक प्रथम

CamScanner

पावक तथा अधिकतम ऑफर की प्रक्रिया मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु अपनाई जाएगी जिसके लिए निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

7. मदिरा दुकान के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजिका में पंजीकृत किया जायेगा। पंजिका के पंजीयन संख्या को आवेदन पत्र की रसीद में अंकित करके आवेदक को यह रसीद उपलब्ध करा दी जायेगी तथा इन मूल रसीदों को पहचान पत्र मानकर आवेदक को लॉटरी के लिये निर्धारित हाल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्राप्त आवेदनों की कम्प्यूटर में भी प्रविष्टि की जायेगी।
8. जिला आबकारी अधिकारी प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की सूचना तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। यदि आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से वांछनीय कोई अभिलेख आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो जिलाधिकारी द्वारा विवेक सम्मत निर्णय लेते हुए ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
9. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आवंटन समिति का गठन उत्तराखण्ड आबकारी विदेशी मदिरा एवं बियॅर की फुटकर दुकान व्यवस्थापन नियमावली 2001 के नियम–9 तथा देशी शराब की नियमावली के नियम–10 की निम्न व्यवस्था के अनुसार किया जायेगाः–

District level committee for licensing

There shall be a district level committee for selection of licensees for retail sale of Foreign Liquor & Beer/Country Liquor. The committee shall consist of the following member, namely:-

1. The Collector of the District	**Chairman**
2. One Gazetted Officer nominated by the Excise Commissioner	**Member**
3. The District Excise Officer of the District	**Member/Secretary**

इस कमेटी में जिला आबकारी अधिकारी एवं एक अन्य वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी, जो जनपद में नियुक्त किसी डिप्टी क्लेक्टर से अनिम्न अधिकारी के नाम का प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित आबकारी आयुक्त को ई–मेल आई0डी0 **utk.hqexcise.lic@gmail.com** पर प्रेषित करेंगे, ताकि नियमानुसार आबकारी आयुक्त द्वारा द्वितीय सदस्य को नामित किया जा सके। उपरोक्तानुसार गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का समुचित परीक्षण एवं दुकानों के नियमानुसार व्यवस्थापन के लिये उत्तरदायी होगी।

10. व्यवस्थापन के समय जिलाधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे व व्यवस्थापन हेतु गठित समिति के अन्य सभी सदस्य भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
11. समिति के गठन की सूचना को व्यवस्थापन स्थल के अतिरिक्त जनपद के सभी जिला व तहसील कार्यालयों पर लगे सूचना पट्टों पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

CamScanner

12. व्यवस्थापन के समय प्रेस/मीडिया के प्रतिनिधियों को भी आंमत्रित किया जायेगा तथा व्यवस्थापन स्थल पर उनके बैठनें हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी।
13. यदि किसी दुकान के लिये निर्धारित राजस्व पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो दुकान के आवंटन के लिये सार्वजनिक लॉटरी से अनुज्ञापी का चयन किया जायेगा।
14. लॉटरी के लिये जिला मुख्यालय पर किसी बडे हाल की व्यवस्था की जाय। लॉटरी हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की दुकानवार सूचियां,सम्बन्धित दुकान को आवंटित कमांक, प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या व आवेदकों के नाम आदि की जानकारी निष्पादन स्थल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से माईक पर उद्घोषित भी किया जाय। लॉटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही सभागार में कुछ ऊचाई पर मंच बनाकर इस प्रकार सम्पादित की जाय कि सभी उपस्थित व्यक्ति लॉटरी की कार्यवाही को भलीभांति देख सकें, जिससे लॉटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। सम्पूर्ण लॉटरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी जाये एवं लॉटरी स्थल पर प्रोजेक्टर की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें लॉटरी की प्रकिया को प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जायेगा।
15. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम के अनुसार एक आवेदक/सह आवेदक को राज्य में अधिकतम तीन मदिरा की दुकानें ही आवंटित की जा सकती है। अतः लॉटरी हेतु पात्र आवेदकों का इस आधार पर निर्धारण लॉटरी से पूर्व कर लिया जाय अर्थात् किसी आवेदक/सह आवेदक को वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु नवीनीकृत/आवंटित दुकानों को जोड़ते हुए अधिकतम मात्र तीन ही मदिरा की दुकानें आवंटित हो सकती है। तीन मदिरा दुकान आवंटन के उपरान्त अगले चरण में आवेदक/सह आवेदक का नाम सम्मिलित नहीं होगा।
16. वित्तीय वर्ष 2024–25 की मदिरा दुकानें जिनमें एक से अधिक अनुज्ञापी/सह अनुज्ञापी है, उन मदिरा दुकानों के समस्त अनुज्ञापी/सह अनुज्ञापी आपसी सहमति के आधार पर यदि मूल अनुज्ञापी अनुज्ञापन से अपना नाम निरस्त करवाता है तथा सह अनुज्ञापी उस अनुज्ञापन नवीनीकरण करवाना चाहता है, तो इसके लिए वर्ष 2025–26 हेतु निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क का 25% धनराशि प्रक्रिया शुल्क के रूप में अतिरिक्त देय होगा। उक्त परिवर्तन की दशा में सह अनुज्ञापी ही मूल अनुज्ञापी माना जायेगा एवं राजस्व की समस्त देयतायें, परिवर्तित नवीन अनुज्ञापी (जो पूर्व में सह अनुज्ञापी रहा हो) को ही जमा करानी होगी, दोनो के मध्य सहमति पत्र 100 रूपये के नॉनज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड कराना अनिवार्य होगा, को जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
17. लॉटरी द्वारा किसी मदिरा दुकान का आवंटन होते ही पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रविष्टि विभागीय वैबसाईट **www.uttrakhandexcise.org.in** पर की जाये, जिससे किसी भी आवेदक/सह आवेदक को अधिकतम तीन मदिरा की दुकानें ही आवंटित हो सकें।
18. जिन देशी/विदेशी मदिरा/बियर की दुकानों पर केवल एक ही आवेदन प्राप्त हुआ है, उनका आवंटन लॉटरी प्रकिया प्रारम्भ करने से पूर्व कर दिया जायेगा। दुकान

CamScanner

की लॉटरी पहले विदेशी मदिरा से आरम्भ होगी। सबसे पहले अधिकतम वार्षिक राजस्व वाली दुकान के लिये लॉटरी निकाली जायेगी और उसके बाद राजस्व के अवरोही क्रम (Descending Order) में यह प्रक्रिया जारी रखी जायेगी। विदेशी मदिरा की दुकानों के लिये लॉटरी सम्पन्न होने के बाद देशी मदिरा की दुकानों के लिये लॉटरी आरम्भ की जायेगी और इसमें भी अधिकतम राजस्व वाली दुकानों से आरम्भ कर अवरोही क्रम (Descending Order) में दुकानों की लॉटरी निकाली जायेगी।

19. लॉटरी प्रक्रिया से आवंटन के पश्चात सफल/चयनित आवेदक आबकारी नीति में दी गई व्यवस्था अनुसार यदि मौके पर लाइसेंस फीस जमा नहीं करता है तो उसका चयन निरस्त कर तत्काल मौके पर पुनः शेष आवेदकों के मध्य लॉटरी प्रक्रिया द्वारा आवंटी का चयन किया जायेगा। आवेदक जिसका चयन निरस्त किया जाएगा उसकी धरोहर राशि को जब्त कर विवर्जित **(Black List)** कर दिया जाएगा।

20. लॉटरी निकाले जाने के लिये जिला आबकारी अधिकारी द्वारा **6 से0मी0×6 से0मी0** की एक ही तरह की कागज की पर्चियां कंप्यूटर से छपवाकर तैयार की जायेगी, जिनका प्रारूप निम्नानुसार होगाः–

मदिरा दुकान का नाम .....
मदिरा दुकान का प्रकार.....
आवेदन पत्र की पंजीयन संख्या.....
आवेदक का नाम.....
जि0आ0अधि0 नामित अधि0 जिलाधिकारी

21. पर्ची पर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर स्कैन करके प्रिन्ट किये जा सकते हैं, किन्तु अन्य अधिकारी अनिवार्य रूप से प्रत्येक पर्ची पर हस्ताक्षर करेंगे।

22. जिलाधिकारी किसी एक दुकान के लिये सभी आवेदकों की पर्चियों के लिखे भाग को अन्दर की ओर रखते हुए समान रूप से अलग–अलग मोड़ कर किसी पारदर्शी पात्र में भली–भांति मिलाकर एक पर्ची, पंडाल/लॉटरी हॉल में उपस्थित व्यक्तियों में सेरैन्डम आधार पर, किसी एक व्यक्ति से निकलवायेंगे। यह पर्ची सार्वजनिक रूप से खोलकर सभी उपस्थित व्यक्तियों को दिखायी जाएगी और पर्ची पर आवेदक के नाम की उद्घोषणा भी पर्ची निकालने वाले व्यक्ति से ही माइक पर करायी जायेगी। लॉटरी निकल जाने के बाद पर्ची के पीछे दुकानों के व्यवस्थापन हेतु गठित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे व जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय की गोल मोहर लगायी जायेगी। लॉटरी के पूरा हो जाने के उपरान्त सभी पर्चियां, जिन पर दुकानें व्यवस्थापित की गयी होंगी, एक लिफाफे में बन्द करके सील कर दी जायेगी, जिसके ऊपर चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

23. दुकान आवंटित हो जाने की दशा में चयनित आवेदक को देय राजस्व उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार समयान्तर्गत जमा करना होगा।

CamScanner

प्राप्त राजस्व (बैंक ड्राफ्ट के रूप में) को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ट्रेजरी चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

24. यदि चयनित आवदेक नियमों में दी गयी व्यवस्थानुसार धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं करता/निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं करता अथवा दुकान के लिये उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो उसका चयन निरस्त समझा जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा लाईसेंसिंग प्राधिकारी, आवंटित अनुज्ञापी के जोखिम पर चयन निरस्त कर दुकान के पुर्नव्यवस्थापन की कार्यवाही नियमों में दी गयी व्यवस्थानुसार करेंगे।

25. नवीनीकरण, लॉटरी एवं अन्य निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से चयनित आवेदक एवं सह आवेदकों द्वारा अलग–अलग शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

26. दुकान व्यवस्थापन की समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करा ली जाय ताकि दुकानों का संचालन दिनांकः 01.04.2025 से प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जा सके। दुकानवार व्यवस्थापन के दौरान पारदर्शिता की दृष्टि से दुकान विशेष के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण, अनुज्ञापन स्वीकृति तथा लॉटरी की दशा में आवेदकों के नाम/संख्या जिनके मध्य लॉटरी की जा रही है, यदि सूचनाएँ मौके पर ध्वनि विस्तारक यन्त्र के माध्यम से उद्घोषित की जायें और प्रत्येक अगली दुकान के सम्बन्ध में औपचारिकतायें पूर्ण करने से पूर्व पिछली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली समस्त जिज्ञासाओं का अवश्य समाधान कर दिया जाये।

27. आवेदक को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित कोई भी तथ्य अथवा सूचना असत्य पाये जाने पर उसका प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा सकता है व धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त की जा सकती है।

28. अपने जनपद के पूर्व वर्षों के बकायादारों की सूची बना ली जाये। अन्य जनपदों से प्राप्त आबकारी राजस्व के बकायेदारों की सूची अलग से प्रेषित की जा रही है। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी बकायेदार को अनुज्ञापन न दिया जाय।

29. दुकानों के व्यवस्थापन के उपरान्त व्यवस्थापित तथा अव्यवस्थापित दुकानों का विवरण प्रत्येक चरण की समाप्ति के पश्चात निर्धारित प्रारूप में आबकारी मुख्यालय भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय तथा व्यवस्थापन की प्रकिया में विवर्जित **(Black List)** किये गये व्यक्तियों का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

30. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025 में दी गयी व्यवस्थानुसार मदिरा दुकानों के सफल आवंटी को लाइसेंस फीस मौके पर तत्काल पृथक रूप से जमा करनी होगी और इस लाइसेंस फीस को धरोहर राशि के बैंक डिमांड ड्राफ्ट से समायोजित नहीं किया जाएगा तथा शेष औपचारिकतायें आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025 एवं अन्य सुसंगत प्रविधानों के तहत दुकान आवंटन होने के

CamScanner

निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक रूप से प्रस्तुत/पूर्ण करनी होगी। ऐसा न करने की दशा में सम्बन्धित आवंटी के जोखिम पर दुकान निरस्त कर दी जायेगी।

31. आवेदन पत्र के साथ संलग्न धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट को जनपद में लॉटरी समाप्त होने के उपरान्त असफल आवेदकों को वापस किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगीः—

आवेदनकर्ता स्वंय कार्यालय में उपस्थित होकर मूल प्राप्ति रसीद प्रस्तुत कर बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर सकतें है।

अथवा

आवेदक के किन्हीं कारणों से उपस्थित न होने की दशा में उनके द्वारा विधिवत् निर्गत प्राधिकार पत्र के साथ मूल रसीद प्रस्तुत करने पर नामित व्यक्ति धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर सकेंगे। प्राधिकार पत्र पर आवेदक एवं उसके प्रतिनिधि का पासपोर्ट साईज में रंगीन फोटो चस्पा करके उसके द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होगा।

32. लॉटरी प्रक्रिया के पश्चात निर्धारित वार्षिक राजस्व पर प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर दुकान का आवंटन किया जाएगा। यदि इस प्रक्रिया में कोई दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है, तो जिला आबकारी अधिकारी अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों को व्यवस्थापित करने हेतु अधिकतम ऑफर प्राप्त कर आबकारी आयुक्त के माध्यम से शासन की अनुमति हेतु प्रेषित किया जाएगा, अनुमति प्राप्त होने के उपरांत प्राप्त ऑफर पर आवंटन की तिथि से राजस्व की गणना कर दुकान का व्यवस्थापन किया जाएगा।

33. वर्तमान वर्ष में संचालित एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2025—26 व 2026—27 में संचालित होने वाले फुटकर मदिरा अनुज्ञापन व थोक मदिरा अनुज्ञापन सी0एल0—2/एफ0एल0—2 यदि किसी फर्म, कम्पनी आदि के तहत वित्तीय लेन देन कर रही है या करेगी तथा यदि वित्तीय वर्ष के मध्य कभी भी अनुज्ञापी किसी कम्पनी, फर्म के तहत लेन देन से जुड़ता है या इससे बाहर जाता है तो इसकी समस्त सूचना आवेदन फार्म पर तथा यथा समय विभाग को स्पष्ट रूप से देनी होगी। वित्तीय नियमों के सहित आयकर इत्यादि के नियमों का अनुपालन अनुज्ञापी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश है कि जिला आबकारी अधिकारी उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराये। उक्त के सम्बन्ध में अनियमितता का कोई प्रकरण प्रकाश में आने की दशा में सम्बन्धित अनुज्ञापी फर्म, कम्पनी आदि पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही लाईसेसिंग प्राधिकारी एवं आबकारी आयुक्त द्वारा अमल में लाई जायेगी।

34. दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, गांधी रोड़, तहसील चौक, देहरादून से यथावश्यक निर्देश/सूचनायें/जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन आबकारी आयुक्त द्वारा किये जाने की सूचना विभागीय वेबसाईट **www.uttrakhandexcise.org.in** पर उपलब्ध रहेगी।

CamScanner

नोटः—

1. यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत संपादित किये जायेंगे।
2. उपरोक्त विवरण तथा उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025—26, 2026—27 व 2027—28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) की अधिसूचना विभागीय पोर्टल www.uttrakhandexcise.org.in तथा www.uk.gov.in पर देखी जासकती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025—26, 2026—27 व 2027—28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025—04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 का गहनता से परिशीलन करके समस्त प्राविधानों का पालन किया जाना अपेक्षित है। आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए सम्पन्न होगी व प्रदेश आबकारी राजस्वहित में निर्धारित आबकारी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025—26, 2026—27 व 2027—28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025—04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 को सफल बनाने हेतु अपने नेतृत्व में सी0एल0—5सी (देशी शराब व बीयर) तथा एफ0एल0—5 डी (विदेशी मदिरा व बियर) की दुकानों का व्यवस्थापन सफलतापूर्वक निर्धारित समय के अन्तर्गत सम्पादित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

(हरिचन्द्र सेमवाल)
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

24,435—40

संख्याः /सात लाई०एस०—48/व्यव०/2025—26/सा०निर्देश/विज्ञप्ति देहरादून,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. सहायक आबकारी आयुक्त, आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय बेबसाईट **www.uttarakhandexcise.org.in** पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. **NIC,**उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित की संबंधित जनपद की राजस्व सूची, सामान्य निर्देश एवं व्यवस्थापन की समय सारणी को **www.uk.gov.in** परअपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(हरिचन्द्र सेमवाल)
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड

CamScanner